राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(10) आ.प्र. एवं स.आ. / चारा / गौशाला / 2009–10 / 372-411 जयपुर,दिनांक 12.1.2010

जिला कलेक्टर,
अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
बीकानेर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर,
गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर,
झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर,
सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर।

विषय :– अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों में अभावग्रस्त एवं गैर–अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को अनुदान स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

अभावग्रस्त जिलों के कलेक्टर्स द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में अकाल के कारण समय–समय पर पशुओं की संख्या में होने वाली वृद्धि एवं नई गौशालाओं के पशुओं हेतु अनुदान स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। इस संबंध में निम्न शर्तो की पालना करते हुए अभावग्रस्त एवं गैर–अभावग्रस्त क्षेत्रों की पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं हेतु अनुदान स्वीकृत करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है:–

1. गौशालाओं के पशुओं का प्रमाणीकरण पाक्षिक रूप से संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जावेगा।
2. इस हेतु गौशालाओं द्वारा नियमित रूप से रेकार्ड संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण व प्रमाणीकरण रिपोर्ट के आधार पर ही अनुदान स्वीकृत किया जावे।
4. जो गौशालाऐं पूर्व से ही पंजीकृत हैं किन्तु सहवन से आपकी सूची में शामिल होने से छूट गई है, उन्हें अब 15.11.2009 से अथवा आवेदन दिनांक से (जो भी बाद में हो) से स्वीकृति जारी की जावे।
5. जो गौशालाऐं दिनांक 15.11.2009 के बाद पंजीकृत हुई हैं, उन्हें पंजीकरण दिनांक / आवेदन दिनांक (जो भी बाद में हो) से स्वीकृति जारी की जावे।
6. गौशालाओं के पशुओं में हर माह में हुई वृद्धि की स्वीकृति को उस माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट में दर्शाते हुए इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

इसके अतिरिक्त पंजीकृत गौशालाओं के संबंध में जारी पूर्व दिशा–निर्देश क्रमांक 16416–456 दिनांक 13.11.2009 एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

ध्यान रहे कि उक्त शर्तो की पालना अनिवार्य है। अन्यथा बढ़े हुए पशुओं के संबंध में आपकी ओर से जारी स्वीकृति को मान्य नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

11/1/10.
शासन सचिव

PTO. →